

आवेदन पत्र के रिपोर्ट पटवारी हल्का / आर्दोएल... में-पुरा/३३
 १९८३ जमाबंदी के २०१५-१८ के १५, ८३, ८४ में मनीराम पुत्र गिरधारी साक्षों के
 जमाबंदी के १५, ८३, ८४ में मनीराम पुत्र गिरधारी साक्षों के माफगीत व भूमि में
 जमाबंदी लाल है जो जमीन प्रविष्टि हो वार: मनीराम जी के (कहे) हैं कि इस खाता में भूमि
 मनीराम पुत्र गिरधारी लाल है।

क्रमांक राजस्व/2020/

कार्यालय तहसीलदार, मुदागौडजी

दिनांक 6/6/23

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशापा की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / मुदागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला शुशुनू (राज.)
 :- आदेश :-

227

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/मुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/मुदागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	मैनपुरा	2015-78	15 83 84	मनीराम पुत्र गिरधारी जाति खाल का देह खातेवाल	मनीराम पुत्र गिरधारी लाल जाति खाल का भारतु खातेवाल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 दिनांक 6/6/23

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 206
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/मुदागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उदयपुरवाटी